[2022] 2 एस. सी. आर 707

ए.

मध्य प्रदेश राज्य बनाम.

आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर.

(सिविल अपील संख्या 2022 की 474-475) 27 जनवरी, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-भारत का संविधान-अनुच्छेद 227-भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2008-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी. सी. सी. एफ.) के एक मौजूदा पद को शीर्ष स्तर पर वन बल के प्रमुख के रूप में उन्नत करने के लिए संशोधित नियम-प्रत्यर्थी सं.1 जो पी. सी. सी. एफ. के रूप में सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने उक्त नियमों के अनुसार अपनी पेंशन में संशोधन की मांग की-अस्वीकार-न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आवेदन, खारिज-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत रिट याचिका-उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, एस. एल. पी. को उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देने का निपटारा किया गया था-तदनुसार, अपीलार्थी ने समीक्षा याचिका दायर की, खारिज कर दिया-उक्त आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान अपीलें और रिट याचिका को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गयाःएस. एल. पी. का निपटारा करते समय, अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई थी, साथ ही एस. एल. पी. का निपटारा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना किया गया था-सभी मुद्दों को समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए खुला रखा गया था, और अपीलार्थी को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी गई थी, यदि वह उसमें पारित आदेश के साथ-साथ रिट याचिका से भी व्यथित है-गुण-दोष पर, क्योंकि प्रत्यर्थी नं.1 वर्ष 2001 में पी. सी. सी. एफ. के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, 2008 के संशोधित नियमों के लागू होने से बहुत पहले, उक्त नियमों के अनुसार शीर्ष पैमाने का लाभ प्राप्त करने का उनका दावा गलत था-उन्नत पद डब्ल्यू. ई. एफ. के लिए शीर्ष पैमाना तय किया गया था और इसे चयन के माध्यम से भरा जाना था न कि निश्चित रूप से एक मामले के रूप में-इसके अलावा, अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग संयम से और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना है-उच्च न्यायालय ने "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करके न्यायाधिकरण के सुविचारित आदेश को गलत तरीके से अपास्त करना दिया-हस्तक्षेप अनुचित था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करना दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

707 ए.

708 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

सेवा कानून-चयन-आयोजितःचयन द्वारा किसी पद को भरने के लिए हमेशा योग्य कर्मचारियों की जांच की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, और वरिष्ठता के आधार पर स्वचालित नहीं हो सकती है।

सेवा कानून-पद का समीकरण, वेतनमान का निर्धारण-आयोजितःपद का समीकरण और वेतनमान का निर्धारण कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है न कि न्यायपालिका का-आम तौर पर अदालतें नौकरी के मूल्यांकन का कार्य नहीं करेंगी जो आम तौर पर वेतन आयोगों जैसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 227।

बी.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 227-के तहत शक्ति-आयोजितःअनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के उद्देश्य से और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए।

सी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** एल. डी. के अनुसार, **1** दिसंबर, **2017** के पहले के आदेश से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने एस. एल. पी. का निपटारा करते हुए अपीलार्थी को उच्च न्यायालय में वापस जाने और अभिलेखों को सही करने की स्वतंत्रता दी थी। अपीलार्थी -राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में कुछ तथ्यों को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था।इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अन्यथा गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया था।जैसा कि अपीलार्थी -राज्य द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि इस न्यायालय ने अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना एस. एल. पी.

का निपटारा किया था, इसका उद्देश्य सभी मुद्दों को उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका में विचार के लिए खुला रखना था, और अपीलार्थी को इस न्यायालय का रुख करने की अनुमति देना था, यदि अपीलार्थी समीक्षा याचिका के साथ-साथ रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित था।वर्तमान अपीलें कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य हैं।[पैरा **8**] **[714-**डी-एफ; **715-**एफ**]**

ई.

एफ.

जी.

सुधाकर बाबूराव नांगनुरे बनाम नोरेश्वर

रघुनाथराव शेंडे 2020 (11) एससीसी 399:[2019] 4 एस. सी. आर. 945-पर निर्भर।

एच.

709

मध्य प्रदेश राज्य बनाम आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर.

ए.

2.1 2008 के प्रासंगिक संशोधित नियम **27** सितंबर, **2008** से लागू हुए।उक्त संशोधित नियम, **2008** के नियम **3** के प्रासंगिक उप-नियम **(1)** से यह स्पष्ट है कि पी. सी. सी. एफ. के एक मौजूदा पद को प्रत्येक राज्य संवर्ग में वन बल के प्रमुख के रूप में उन्नत किया जाना था। **80, 000/-** उक्त संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करने की तारीख यानी **27** सितंबर, **2008** से और शीर्ष पैमाने पर पीसीसीएफ के उक्त पद को एचएजी + पैमाने **Rs.75,500/- (**वार्षिक वृद्धि **@3** प्रतिशत**)-80,000/-** में राज्य संवर्ग में पीसीसीएफ के पद पर आसीन अधिकारियों में से चयन द्वारा भरा जाना था।चूंकि प्रत्यर्थी नं। **1** वर्ष **2001** में पी. सी. सी. एफ. के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, जो कि संशोधित नियम, **2008** के लागू होने से बहुत पहले है, उक्त नियमों के अनुसार शीर्ष पैमाने का लाभ प्राप्त करने का उनका दावा पूरी तरह से गलत था।रु. का शीर्ष पैमाना। वन बल के प्रमुख के रूप में नामित उन्नत पद के लिए **27** सितंबर, **2008** से **80,000/-** निर्धारित किया गया था और इसे चयन के माध्यम से भरा जाना था न कि निश्चित रूप से।चयन द्वारा किसी पद को भरने के लिए हमेशा योग्य कर्मचारियों की जांच की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, और वरिष्ठता के आधार पर स्वचालित नहीं हो सकती है।प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया तर्क नं। **1** कि वर्ष **2008** में नियमों में संशोधन से पहले भी, पी. सी. सी. एफ. के पद पर काम करने वाले अधिकारी वन बल के प्रमुख थे और प्रत्यर्थी नं. **1** इस तरह से भी काम कर रहा था, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इस साधारण कारण से कि यदि पीसीसीएफ के पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी भी वन बल के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे, तो पीसीसीएफ के एक मौजूदा पद को अपग्रेड करने की

कोई आवश्यकता नहीं थी। **80, 000/-** और इसे **27** सितंबर**, 2008** से वन बल के प्रमुख के रूप में नामित करें**,** जैसा कि **2008** के संशोधित नियमों के नियम **3** के उप**-**नियम **1** में विशेष रूप से प्रदान किया गया है।**2008** के उक्त संशोधित नियमों का नियम **11** भी विशेष रूप से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश राज्य में वन बल के प्रमुख के रूप में पी**.** सी**.** सी**.** एफ**.** के पद के उन्नयन और पदनाम के बारे में उक्त स्थिति को दोहराता है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के साथ**-**साथ समीक्षा याचिका में पारित विवादित आदेशों में "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करके खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया था।पद और निर्धारण का समीकरण

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

वेतनमान कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है न कि न्यायपालिका का और इसलिए आम तौर पर अदालतें नौकरी के मूल्यांकन का कार्य नहीं करेंगी जो आम तौर पर वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के नौकरी मूल्यांकन अभ्यास में कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक डेटा और पैमाने सहित विभिन्न कारक शामिल हो सकते हैं**,** और इस तरह का मूल्यांकन वित्तीय प्रभावों के अलावा कठिन और समय लेने वाला दोनों होगा।इसलिए**,** यह हमेशा अधिक विवेकपूर्ण माना गया है कि पद के समीकरण और वेतनमान के निर्धारण के इस तरह के कार्य को एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाए।जब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सामग्री नहीं है कि किसी दिए गए पद के लिए वेतनमान तय करते समय एक गंभीर त्रुटि हुई थी**,** और यह कि अन्याय को पूर्ववत करने के लिए अदालत का हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक था**,** अदालतें ऐसे जटिल मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।**"**समान काम के लिए समान वेतन "किसी भी कर्मचारी में निहित मौलिक अधिकार नहीं है**,** हालांकि यह सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक संवैधानिक लक्ष्य है।**[**पारस **12-14] [716-G; 717-E-H; 718-A-H; 719-A]**

बी.

सी.

डी.

पंजाब राज्य और अन्य। बनाम**.** जगजीत सिंह और अन्य। **2017** एस**.** सी**.** सी**. 148;** सचिव**,** वित्त विभाग बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य। **1993**

पूरक।1 एससीसी 153:[1992] 1 एससीआर 897; हरियाणा राज्य

ई.

और एन. आर. बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ

एसोसिएशन 2002 (06) एस. सी. सी. 72:[2002] 1 पूरक।एस. सी. आर. 118-संदर्भित।

2.2.उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने प्रासंगिक तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी नं**. 1** उनके द्वारा दायर ओ**.** ए**.** में "समान काम के लिए समान वेतन" के आधार पर शीर्ष पैमाना प्रदान करने के लिए।न्यायाधिकरण के उक्त सुविचारित**,** न्यायसंगत और उचित आदेश को उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के तहत अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करते हुए बाहरी आधारों पर गलत तरीके से अपास्त करना दिया था।अनुच्छेद **227** के तहत शक्ति का उपयोग अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों को ए के भीतर रखने के उद्देश्य से केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना है।

एफ.

जी.

एच.

711

मध्य प्रदेश राज्य बनाम आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर.

उनके अधिकार की सीमाएँ और केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए नहीं।तत्काल मामले में**,** न्यायाधिकरण ने कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं की थी**,** न ही न्याय की कोई विफलता हुई थी**,** और इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल अनुचित था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को कानून और तथ्यों में पूरी तरह से गलत समझा जाता है**,** जिन्हें अपास्त करना दिया जाता है।**[**पारस **15,16] [719-**बी**-**ई**]**

बी.

के. एस. कृष्णास्वामी और अन्य। बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर.

2006 (13) एससीसी **215:[2006] 9** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 330-**संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

सी.

[2019] 4 एससीआर **945**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[2006] 9 पूरक।पैरा **10 2017** एस**.** सी**.** सी**. 148** में संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 330**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

डी.

[1992] 1 एससीआर **897**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2002] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 118** पैरा **14** में संदर्भित है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 474-475।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 28.04.2017 के निर्णय और आदेश से, 2013 के W. P. No.14940 में जबलपुर में प्रधान सीट और 2018 के R. P. No.1386 में दिनांकित 17.09.2019 आदेश से।

ई.

सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, मनीष यादव, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एफ.

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., नचिकेता जोशी, बी. के. सतीजा, सुश्री इंदिरा भाकर, उदय खन्ना, अरविंद कुमार शर्मा, अनीश कुमार गुप्ता, वेणुगोपाल अभय, वैभव वर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

जी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी-मध्य प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर वर्तमान अपीलों के माध्यम से हमला किया है।

एच.

ए.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 2013 के डब्ल्यू. पी. सं. 14940 और 2018 के आर. पी. सं. 1386 में जबलपुर में प्रधान पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश।

3. प्रत्यर्थी नं। 2 इसमें भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वन सेवा (वेतन नियम 1968) के स्थान पर भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 2007 बनाए थे।2007 के उक्त नियमों में प्रत्यर्थी सं. 2 27 सितंबर 2008 की अधिसूचना के माध्यम से।उक्त संशोधित नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2008 कहा गया (इसके बाद 2008 के संशोधित नियम के रूप में संदर्भित)।2008 के उक्त संशोधित नियमों के नियम 3 के उप-नियम 1 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के एक मौजूदा पद के उन्नयन का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रत्येक राज्य संवर्ग में वन बल के प्रमुख के रूप में नामित किया जाएगा।उक्त नियम ने शीर्ष पैमाने के लिए रुपये का प्रावधान किया। वन बल के प्रमुख के रूप में नामित उक्त उन्नत पद के लिए 80,000/- (निश्चित)।इसने यह भी प्रावधान किया कि उक्त उन्नयन को संशोधित नियम, 2008 की अधिसूचना जारी करने की तारीख यानी 27 सितंबर, 2008 से किया जाना था और उक्त उन्नत पद को राज्य संवर्ग में पी. सी. सी. एफ. के पद पर आसीन अधिकारियों में से एच. ए. जी. + पैमाने पर "चयन" द्वारा भरा जाना था। 75, 500-रु। 80, 000।

बी.

सी.

डी.

ई.

4. प्रत्यर्थी नं। 1 (उच्च न्यायालय के समक्ष याची) 31 दिसंबर, 2001 को पी. सी. सी. एफ. के पद से सेवानिवृत्त हुए।2 अप्रैल, 2011 को प्रत्यर्थी नं. 1 ने भारत सरकार को अपनी पेंशन को Rs.37,750/- (एच. ए. जी. स्केल 75000-80000 का 50 प्रतिशत) से संशोधित करके रु. भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2008 के अनुसार 40,000/- (शीर्ष पैमाने 80000 का 50 प्रतिशत)।उक्त अभ्यावेदन को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 24 जून, 2011 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।पीड़ित प्रत्यर्थी ने 27 नवंबर, 2011 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है), जबलपुर, मध्य प्रदेश के समक्ष ओ. ए. दायर किया।उक्त ओ. ए. को न्यायाधिकरण द्वारा 17 मई, 2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।हालाँकि, न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2013 की रिट याचिका No.14940 ए.

एफ.

जी.

एच.

713

मध्य प्रदेश राज्य बनाम आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा 24 अगस्त, 2013 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी जाएगी।उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी नं। 1 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था। 40, 000/- 2008 के नियमों के अनुसार अन्य अधिकारियों के बराबर पेंशन के रूप में। 5.व्यथित अपीलार्थी-राज्य मध्य प्रदेश ने 2017 की विशेष अनुमति याचिका (डायरी) संख्या 36531 दायर करके इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को चुनौती दी।उक्त एस. एल. पी. का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 1 दिसंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से किया गया, जो इस प्रकार हैः

बी.

“देरी को माफ कर दिया गया।

सी.

निर्णय में इसे इस प्रकार देखा गया हैः-

“यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याची प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए।

राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह तथ्यों के लिए सच नहीं है।

डी.

यदि ऐसा है, तो यह याची पर है कि वह उच्च न्यायालय में वापस जाए और अभिलेखों को ठीक करे।

उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मामले पर योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया है।

ई.

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।"

6. अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाया और 2018 की आर. पी. संख्या 1386 के रूप में एक समीक्षा याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।हालाँकि उक्त समीक्षा याचिका को उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर, 2019 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।अतः पीड़ित अपीलार्थी ने इन अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.04.202017 और 17.09.2019 दोनों आदेशों को चुनौती दी है।

एफ.

जी.

7. तत्काल अपीलों में, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्यर्थी सं. 1 जो पहले से ही पीसीसीएफ के रूप में 31.12.2001 पर सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हें शीर्ष पैमाने का लाभ देने के उद्देश्य से

एच.

27 सितंबर 2008 से लागू हुए 2008 के संशोधित नियमों के अनुसार वन बल, एम. पी. संवर्ग के प्रमुख के उन्नत पद के लिए निर्धारित किया गया और तदनुसार उनकी पेंशन तय की गई?

8. हालाँकि, एल. डी. द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों को स्वीकार करने से पहले। पक्षों के अधिवक्ताओं, आइए हम पहले एल. डी. द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करें। प्रत्यर्थी नं. की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अनीश कुमार गुप्ता। 1 अपीलों की स्थिरता के संबंध

में।श्री गुप्ता के अनुसार, अपीलार्थी ने पहले इस न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दाखिल करके उच्च न्यायालय द्वारा 28 अप्रैल, 2017 को पारित आदेश को चुनौती दी थी, जबकि 1 दिसंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से उक्त एसएलपी का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका के निपटारे के बाद इस न्यायालय से फिर से संपर्क करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, वर्तमान अपीलें विचारणीय नहीं हैं।श्री गुप्ता द्वारा उठाई गई उक्त प्रारंभिक आपत्ति में न्यायालय को कोई सार नहीं मिलता है।1 दिसंबर, 2017 के पहले के आदेश से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने एसएलपी का निपटारा करते हुए अपीलार्थी को उच्च न्यायालय में वापस जाने और रिकॉर्ड को ठीक करने की स्वतंत्रता दी थी, जैसा कि एलडी के अनुसार है। अपीलार्थी -राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में कुछ तथ्यों को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था।इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अन्यथा गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया था।जैसा कि Ld द्वारा सही प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी -राज्य की ओर से ए. ए. जी. श्री सौरभ मिश्रा, चूंकि इस न्यायालय ने अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटने की स्वतंत्रता प्रदान की थी और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना एस. एल. पी. का निपटारा किया था, इसलिए इसका उद्देश्य सभी मुद्दों को समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए खुला रखना था, और अपीलार्थी को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देना था, यदि अपीलार्थी समीक्षा याचिका के साथ-साथ रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित था।न्यायालय की राय में, इस न्यायालय द्वारा नवीनतम निर्णय में की गई टिप्पणियाँ

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

सुधाकर बाबूराव नांगनुरे बनाम नोरेश्वर रघुनाथराव शेंडे 2020 (11) एस. सी. सी. 399 के मामले ने इस मुद्दे को पकड़ लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने

न्यायालय ने वर्तमान अपीलों में उठाए गए लगभग इसी तरह के मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

जी.

“यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध की गई किसी प्रस्तुति पर ध्यान नहीं दिया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है, तो यह उच्च न्यायालय

में है कि पीड़ित वादी को रिकॉर्ड के सुधार के लिए जाना चाहिए।लेकिन, इसके अलावा, 12 दिसंबर 2017 के आदेश में कहा गया है कि यह ए

एच.

715

मध्य प्रदेश राज्य बनाम आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर इस मामले को महत्वपूर्ण नहीं माना था।उस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो मुद्दे उठाए गए थे (किसी भी स्थिति में कैच-अप नियम के संबंध में) वे पूरी तरह से खुले थे, जिनसे पहले उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया जाना था और उसके बाद, यदि अपीलार्थी को व्यथित होना था, तो इस न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही में।इस न्यायालय के उपरोक्त अवलोकन का उद्देश्य केवल कैच-अप नियम पर विचार न करने के मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह करने के लिए खुला रखना नहीं था।यह कि इस मुद्दे को खुला रखा गया था, 12 दिसंबर 2017 के आदेश के अंतिम भाग से स्पष्ट है जो विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की दलीलों को खुला रखता है।इसके अलावा, इस न्यायालय के आदेश में सावधानीपूर्वक कहा गया है कि हमने मामले पर योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया है।

बी.

सी.

इस स्पष्ट स्पष्टीकरण को देखते हुए, प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करना असंभव है कि उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेने के बाद इस न्यायालय का सहारा लेने पर रोक लगा दी गई है।कोई अन्य दृष्टिकोण रखने से अपीलार्थी को न्याय तक पहुंच से प्रभावी रूप से वंचित कर दिया जाएगा।जाहिर है, अपीलार्थी की शिकायत पर इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर 2017 को गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था।एक ऐसे निर्माण को अपनाना जो अपीलार्थी को समीक्षा में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस न्यायालय में जाने के उपाय से वंचित कर देगा, न्याय की घोर विफलता का कारण बन जाएगा।इस तरह के निर्माण से बचना चाहिए।"

डी.

ई.

पूर्वनिर्धारित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई निर्णायक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि वर्तमान अपीलें कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य हैं, आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

एफ.

9. जहाँ तक अपीलों के गुण-दोष का संबंध है, एल. डी. अपीलार्थी के लिए ए. ए. जी. श्री मिश्रा ने 2008 के नियमों पर भरोसा रखने का पुरजोर आग्रह किया कि उक्त नियम 27 अगस्त, 2008 से लागू हो गए हैं और प्रत्यर्थी सं. 1 2001 में पी. सी. सी. एफ. के रूप में पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, प्रत्यर्थी नं. 1 "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा गलती से दिए गए शीर्ष पैमाने का लाभ नहीं दिया जा सकता था।उनके अनुसार, वन बल के प्रमुख के रूप में पी. सी. सी. एफ. के पद के उन्नयन के लिए उक्त सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं था, जिसे 27 अगस्त, 2008 से "चयन" द्वारा भरा जाना था।उन्होंने 2007 और 2008 के नियमों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

जी.

एच.

प्रस्तुत करें कि प्रत्यर्थी नं। 1 पी. सी. सी. एफ. के रूप में काम कर रहा था और वन बल के प्रमुख के उन्नत पद पर काम नहीं कर रहा था जिसे वर्ष 2008 में पहली बार नामित किया गया था, और यह कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में गलती से कहा था कि प्रत्यर्थी नं। 1 पीसीसीएफ, वन बल के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था।

बी.

10. एल. डी. प्रत्यर्थी नं. के लिए ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी। 2 भारत संघ, एल. डी. द्वारा की गई प्रस्तुतियों का पूरक। अपीलार्थी राज्य के लिए ए. ए. जी. श्री मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि एक मौजूदा पद के उन्नयन का लाभ उस पेंशनभोगी को नहीं दिया जा सकता है जो इस तरह के उन्नयन से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है।इस संबंध में, उन्होंने भरोसा किया था

के. एस. कृष्णास्वामी और अन्य पर। बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. 2006 (13) एस. सी. सी. 215 में रिपोर्ट किया गया।

सी.

11. इसके विपरीत, एल. डी. प्रत्यर्थी नं. की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अनीश कुमार गुप्ता। 1, अन्य अधिकारियों के मामले में अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियुक्ति आदेशों के बारे में न्यायालय को बताते हुए कि पी. सी. सी. एफ., एम. पी. के रूप में नियुक्त अधिकारियों को भी

संशोधित नियम लागू होने से पहले वन विभाग, एम. पी. के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रत्यर्थी को आई. एफ. एस. के सदस्यों की सूची में पी. सी. सी. एफ., एम. पी. के रूप में भी दिखाया गया था, जिसका अर्थ है कि प्रत्यर्थी पी. सी. सी. एफ., मध्य प्रदेश राज्य में वन विभाग का प्रमुख भी था।"समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत का आह्वान करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पी. सी. सी. एफ., एम. पी. और पी. सी. सी. एफ., वन बल के प्रमुख के उन्नत पद का काम और जिम्मेदारी समान थी और इसलिए उच्च न्यायालय ने 2008 के संशोधित नियमों के अनुसार शीर्ष पैमाने का लाभ उचित रूप से प्रदान किया था।उन्होंने आगे कहा कि पी. सी. सी. एफ., आई. एफ. एस. में वन बल के प्रमुख का पद एक नया सृजित पद नहीं था, बल्कि संशोधित नियमों के आधार पर विभाग में पी. सी. सी. एफ. के मौजूदा पद से उन्नत किया गया था, और इसलिए यह भी कि हालांकि प्रत्यर्थी 2001 में सेवानिवृत्त हो गया था, उसे रुपये के शीर्ष पैमाने के अनुसार पेंशन के लिए पात्र माना जाना आवश्यक था। 80, 000/-।

डी.

ई.

एफ.

12. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, 2008 के प्रासंगिक संशोधित नियमों को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा जो 27 सितंबर, 2008 से लागू हुए थे।उक्त संशोधित नियम, 2008 के नियम 3 का प्रासंगिक उप-नियम (1) इस प्रकार हैः

जी.

(1) पे-बैंड और ग्रेड भुगतानः- वेतन बैंड और ग्रेड

सेवा के सदस्य को स्वीकार्य भुगतान और ए के साथ तिथियाँ

एच.

717

मध्य प्रदेश राज्य बनाम आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

जिस प्रभाव से उक्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन लागू हुआ समझा जाएगा, वह इस प्रकार होगाः

ए से सी।

डी सुपर टाइम स्केल से ऊपरः-

(i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-पे-बैंड-4:Rs.37400-67000; प्लस ग्रेड पे Rs.12000; (ii) एचएजी +:Rs.75500-(वार्षिक वृद्धि @3 प्रतिशत)-80000; ग्रेड वेतनःनील;

बी.

सी.

(iii) शीर्ष पैमानाःRs.80000 (निश्चित), ग्रेड वेतनःशून्य (प्रत्येक राज्य संवर्ग में वन बल के प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के एक मौजूदा पद का उन्नयन करके); (भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 की अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी);

डी.

नोट 1:.....

नोट 2:शीर्ष स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद राज्य संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर आसीन अधिकारियों के बीच चयन प्रपत्र द्वारा भरा जाएगा। 75500-(वार्षिक वृद्धि @3 प्रतिशत)-80000।

ई.

उपरोक्त उद्धृत नियमों से यह स्पष्ट है कि पी. सी. सी. एफ. के एक मौजूदा पद को प्रत्येक राज्य संवर्ग में वन बल के प्रमुख के रूप में उन्नत किया जाना था। 80, 000/- उक्त संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करने की तारीख यानी 27 सितंबर, 2008 से, और यह कि शीर्ष पैमाने पर पी. सी. सी. एफ. के उक्त पद को राज्य संवर्ग में पी. सी. सी. एफ. के पद पर आसीन अधिकारियों में से एच. ए. जी. + पैमाने Rs.75,500/- (वार्षिक वृद्धि @3 प्रतिशत)-80,000/- के चयन द्वारा भरा जाना था।

एफ.

13. चूंकि प्रत्यर्थी नं। 1 वर्ष 2001 में पी. सी. सी. एफ. के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, जो कि संशोधित नियम, 2008 के लागू होने से बहुत पहले है, उक्त नियमों के अनुसार शीर्ष पैमाने का लाभ प्राप्त करने का उनका दावा पूरी तरह से गलत था।रु. का शीर्ष पैमाना। वन बल के प्रमुख के रूप में नामित उन्नत पद के लिए 27 सितंबर, 2008 से 80,000/- निर्धारित किया गया था और इसे चयन के माध्यम से भरा जाना था।

जी.

एच.

और निश्चित रूप से नहीं।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चयन द्वारा किसी पद को भरने के लिए हमेशा योग्य कर्मचारियों की जांच की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, और वरिष्ठता के आधार पर स्वचालित नहीं हो सकती है।प्रत्यर्थी नं. के लिए श्री गुप्ता द्वारा उठाया गया तर्क। 1 कि वर्ष 2008 में नियमों में संशोधन से पहले भी, पी. सी. सी. एफ. के पद पर काम करने वाले अधिकारी वन बल के प्रमुख थे और प्रत्यर्थी नं. 1 इस तरह से भी काम कर रहा था, इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अगर पीसीसीएफ के पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी भी वन बल के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे, तो पीसीसीएफ के एक मौजूदा पद को रुपये के शीर्ष पैमाने में अपग्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 80, 000/- और इसे 27 सितंबर, 2008 से वन बल के प्रमुख के रूप में नामित करें, जैसा कि 2008 के संशोधित नियमों के नियम 3 के उप-नियम 1 में विशेष रूप से प्रदान किया गया है। 2008 के उक्त संशोधित नियमों का नियम 11 भी विशेष रूप से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश राज्य में वन बल के प्रमुख के रूप में पी. सी. सी. एफ. के पद के उन्नयन और पदनाम के बारे में उक्त स्थिति को दोहराता है।

बी.

सी.

14. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के साथ-साथ समीक्षा याचिका में पारित किए गए विवादित आदेशों में "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करके खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया था।

डी.

पंजाब राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम. जगजीत

सिंह और ओआरएस। 2017 एस. सी. सी. 148, जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं था।यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि पद का समीकरण और वेतनमान का निर्धारण कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है न कि न्यायपालिका का और इसलिए आम तौर पर न्यायालयें नौकरी के मूल्यांकन का कार्य नहीं करेंगी जो आम तौर पर वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के नौकरी मूल्यांकन अभ्यास में कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक डेटा और पैमाने सहित विभिन्न कारक शामिल हो सकते हैं, और इस तरह का मूल्यांकन वित्तीय प्रभावों के अलावा कठिन और समय लेने वाला दोनों होगा। इसलिए, यह हमेशा अधिक विवेकपूर्ण माना गया है कि पद के समीकरण और वेतनमान के निर्धारण के इस तरह के कार्य को एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाए।जब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सामग्री नहीं है कि किसी दिए गए पद के लिए

वेतनमान तय करते समय एक गंभीर त्रुटि हुई थी, और यह कि अन्याय को पूर्ववत करने के लिए अदालत का हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक था, अदालतें ऐसे जटिल मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। के मामले में इस संबंध में की गई टिप्पणियों का एक लाभकारी संदर्भ

ई.

एफ.

जी.

सचिव**,** वित्त विभाग बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य। **1993** सुपल।**1** एस**.** सी**.** सी**. 153** बनाया जाए।जैसा कि ए में आयोजित किया गया

एच.

719

मध्य प्रदेश राज्य बनाम आर. डी. शर्मा और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

हरियाणा और अन्न राज्य। बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन **2002 (06)** एस**.** सी**.** सी**. 72** "समान काम के लिए समान वेतन" नहीं है।

किसी भी कर्मचारी में निहित एक मौलिक अधिकार, हालांकि यह सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक संवैधानिक लक्ष्य है।

15. उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने प्रासंगिक तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी नं. 1 उनके द्वारा दायर ओ. ए. में "समान काम के लिए समान वेतन" के आधार पर शीर्ष पैमाना प्रदान करने के लिए।न्यायाधिकरण के उक्त सुविचारित, न्यायसंगत और उचित आदेश को उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने वाले बाहरी आधारों पर गलत तरीके से अपास्त करना दिया था।यह अच्छी तरह से तय कानूनी स्थिति है कि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के उद्देश्य से संयम से और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना है, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए।तत्काल मामले में, न्यायाधिकरण ने कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं की थी, न ही न्याय की कोई विफलता हुई थी, और इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल अनुचित था।

बी.

सी.

डी.

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को कानून और तथ्यों में पूरी तरह से गलत समझा जाता है, जिन्हें रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त करना दिया जाना चाहिए और उन्हें एतद्द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

ई.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.